



2026:AHC:22771

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1484, वर्ष 2026

योगेंद्र कुमार सिंह एवं 10 अन्य

.....याचीगण

बनाम

भारत संघ एवं 8 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : जयंत प्रकाश सिंह

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., अबरार अहमद, मुख्य स्थायी अधिवक्ता,

प्रांजल मेहरोत्रा

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री जयंत प्रकाश सिंह, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय और प्रतिवादियों की ओर से श्री अबरार अहमद तथा श्री प्रांजल मेहरोत्रा को सुना गया।
2. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नियुक्त हैं, तथापि उन्हें प्रोत्साहन राशि और वेतन के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके वे पत्र दिनांक 09.01.2025 और 04.02.2025 के अनुसार हकदार हैं।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ताओं के दावे का न्यायनिर्णयन प्रथम दृष्टया प्रतिवादी संख्या 8, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति (डीएचएस), बिजनौर द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 8 के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। उक्त प्रतिवादी, प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार कड़ाई से याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करेंगे। यदि प्रतिवादी संख्या 8 यह पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो याचिकाकर्ताओं को सूचित करते हुए संबंधित दस्तावेज उस प्राधिकारी को भेज दिए जाएंगे।

3 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"